



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092025-266057
CG-DL-E-10092025-266057

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2025/भाद्र 19, 1947

No. 568]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2025/BHADRA 19, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2025

सा.का.नि.612(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) सातवां संशोधन नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-1 में, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है,- (i) क्रम सं. 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

लुगदी और कागज़ उद्योग के लिए मानक

भाग-I: अपशिष्ट मानक			
क्र. सं.	उद्योग	मानदंड	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"14	लुगदी और कागज़ उद्योग		
क.	रासायनिक लुगदी से उत्पाद बनाने वाली लुगदी और कागज़ मिलों से उपचारित अपशिष्ट\$	अपशिष्ट	सांद्रता, पीएच, रंग और सोडियम अधिशोषण अनुपात को छोड़कर,

			मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए
		पीएच	6.5 – 8.5
		कुल निलंबित ठोस	50
		जैव रासायनिक ऑक्सीजन माँग [27°c पर 3 दिन]	20
		रासायनिक ऑक्सीजन माँग	250
		कुल घुले हुए ठोस	2100*
		रंग, प्लैटिनम कोबाल्ट इकाइयाँ	350
		अधिशोषणीय कार्बनिक हैलोजन	10
		सोडियम अधिशोषण अनुपात	10
ख.	लुगदी और कागज़ मिलों से उपचारित अपशिष्ट, जो पुनर्चक्रित रेशे आधारित लुगदी और बाज़ार लुगदी से उत्पाद बनाते हैं	पीएच	6.5 - 8.5
		कुल निलंबित ठोस	50
		जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग	20
		रासायनिक ऑक्सीजन मांग	250
		कुल घुलित ठोस	2100*
		रंग, प्लैटिनम कोबाल्ट इकाइयाँ	350
		अवशोषक कार्बनिक हैलोजन	05
		सोडियम अवशोषक अनुपात	08
टिप्पण: 1. \$ रासायनिक लुगदी के विनिर्माण उन मिलों को अनुज्ञात किया जाएगा जिनके पास शून्य ब्लैक-लिकर उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए रासायनिक पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया सुविधा है।			
2. * यदि अंतर्ग्रहण जल में कुल घुले हुए ठोस 1100 मिग्रा/प्रति लीटर से अधिक हैं, तो औद्योगिक इकाई द्वारा अधिकतम 1000 मिग्रा/प्रति लीटर तक का योगदान अनुज्ञात होगा, परंतु उपचारित अपशिष्ट जल में 3100 मिग्रा/लीटर का अधिकतम मान पार न हो।			
कुल घुले हुए ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण जल (मि.ग्रा./लीटर)		उपचारित अपशिष्ट में कुल घुलित ठोस की अधिकतम सीमा (मिग्रा)	
अंतर्ग्रहण जल में टीडीएस ≤1100		2100	
1100< अंतर्ग्रहण जल में टीडीएस ≤2100		अंतर्ग्रहण जल में टीडीएस+1000	
अंतर्ग्रहण जल में टीडीएस>2100		3100	

3. उचित समुद्री बहिर्वाह के माध्यम से समुद्री निपटान के मामले में कुल घुले हुए ठोस और सोडियम अवशोषण अनुपात के मानक लागू नहीं होंगे।

भाग-II: ताजा जल खपत और बहिःस्राव निर्वहन मानक

(आयतन) (उत्पाद के एम3/टन में*)

		ताजा जल खपत	अपशिष्ट निस्सरण **
(i)	लुगदी और कागज़ मिलें रासायनिक लुगदी, कागज़ और पेपरबोर्ड के विरंजित ग्रेड का उत्पादन	50	40
(ii)	लुगदी और कागज़ मिलें रासायनिक लुगदी, कागज़ और पेपरबोर्ड के अविरंजित ग्रेड का उत्पादन	25	20
(iii)	पुनर्चक्रित रेशा और बाज़ार लुगदी आधारित कागज़ मिलें, प्रक्षालित ग्रेड के कागज़, पेपरबोर्ड और अखबारी कागज़ का उत्पादन	15	10
(iv)	पुनर्चक्रित रेशा और बाज़ारलुगदी आधारित कागज़ मिलें, अविरंजित ग्रेड के कागज़, पेपरबोर्ड और अखबारी कागज़ का उत्पादन	10	06
(v)	पुनर्चक्रित रेशा और बाज़ार लुगदी आधारित विशेष कागज़ मिलें ***	50	40

टिप्पण: 1* कागज़, पेपरबोर्ड, विशेष कागज़ और अखबारी कागज़ के अतिरिक्त, "उत्पाद" में अल्पकालिक भंडारण (सूखी चादरों के रूप में या बेट-लैप के रूप में) या विक्रय के लिए उत्पादित हवा में सुखाए गए अतिरिक्त लुगदी के टन भी सम्मिलित होंगे।

2** अपशिष्ट जल निर्वहन का अर्थ अंतिम अपशिष्ट जल उपचार चरण के निकास से निकलने वाला अपशिष्ट होगा और इसमें मिल के भीतर या अन्य मिल के स्वामित्व वाली भूमि पर डाला गया अपशिष्ट सम्मिलित होगा। भूमि पर ऐसा प्रयोग अंतिम अपशिष्ट जल उपचार चरण के निकास से पहले किसी भी बिंदु से नहीं लिया जाएगा।

3*** उन मिलों पर लागू होता है जो केवल विशेष कागज़ बनाती हैं।

भाग-III: उत्सर्जन मानक

I	गंध उत्सर्जन मानक	मानदंड	सांद्रता मी.ग्रा./एन.ग्रा. ³ से अधिक नहीं होनी चाहिए
		एच2एस	10

स्पष्टीकरण: इस उत्सर्जन को गंध नियंत्रण मूल्यांकन के रूप में मापा जाएगा, ताकि गंधयुक्त गैसों के उत्सर्जन के स्रोत की पहचान और मूल्यांकन किया जा सके। सोडा प्रक्रिया से संचालित होने वाली मिलें और सल्फर-मुक्त संचालन वाली मिलें इससे मुक्त रहेंगी।

II	ढेर उत्सर्जन मानक	मानदंड	सांद्रता मी.ग्रा./एन.ग्रा. ³ से अधिक नहीं होनी चाहिए
		कणिकीय पदार्थ, पीएम	100
(क)	रासायनिक पुनर्प्राप्ति संयंत्र बॉयलर या चूना भट्टी	एच2एस	10
(ख)	बॉयलर*	--*	

टिप्पण:* (ख) बॉयलरों* के लिए ये उत्सर्जन मानक सामान्य बॉयलरों के लिए अधिसूचित मानकों के अनुसार लागू होंगे।

(ii) क्रम संख्या 29, क्रम संख्या 53 और क्रम संख्या 54 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, अनुसूची-VI में,-

- (i) भाग-ख के क्रम संख्या 3 की मद (क) की उप-मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
(ii) भाग-ख के क्रम संख्या 3 की मद (ख) की उप-मद (i) और (ii) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
(iii) भाग-ग के क्रम संख्या 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उपरोक्त मानक रेयान ग्रेड पल्प उद्योग पर लागू नहीं होंगे।

[फा. सं. क्यू-15017/41/2008-सीपीडब्ल्यू]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 487(अ), तारीख 22 जुलाई, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2025

G.S.R. 612(E) —In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: -

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Seventh Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on expiry of a period of two years from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, here-in after referred to as the said rules, in Schedule-I,— (i) for serial number 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

STANDARDS FOR PULP AND PAPER INDUSTRY

PART-I: EFFLUENT STANDARD			
S. No.	Industry	Parameter	Standards
(1)	(2)	(3)	(4)
“14	Pulp and Paper Industry		
A.	Treated effluent from Pulp and Paper Mills manufacturing product from Chemical Pulp ^s	EFFLUENTS	Concentration not to exceed, mg/l except for pH, colour and sodium adsorption ratio
		pH	6.5 - 8.5
		Total Suspended Solids	50
		Biochemical Oxygen Demand [3 days at 27 ⁰ c]	20
		Chemical Oxygen Demand	250
		Total Dissolved Solids	2100*
		Colour, Platinum Cobalt Units	350
		Adsorbable Organic Halogens	10
		Sodium Adsorption Ratio	10
B.	Treated effluent from Pulp and Paper Mills manufacturing product from Recycled fiber based	pH	6.5 - 8.5
		Total Suspended Solids	50

	pulp and Market Pulp	Biochemical Oxygen Demand	20
		Chemical Oxygen Demand	250
		Total Dissolved Solids	2100*
		Colour, Platinum Cobalt Units	350
		Adsorbable Organic Halogens	05
		Sodium Adsorption Ratio	08

Note:1. \$ The Manufacturing of chemical pulp shall be allowed for mills having chemical recovery process facility for achieving zero black-liquor discharge.

2. * In case where Total Dissolved Solids of intake water is above 1100mg/l, a maximum contribution by industrial unit up to 1000mg/l shall be permitted provided the maximum value of 3100 mg/l is not exceeded in the treated effluent i.e.

Total Dissolved Solids in intake water (mg/l)	Maximum limit of Total Dissolved Solids in treated effluent (mg/l)
TDS in intake water ≤ 1100	2100
$1100 < \text{TDS in intake water} \leq 2100$	TDS in intake water + 1000
TDS in intake water > 2100	3100

3. Standard for Total Dissolved Solids and Sodium Adsorption Ratio shall not be applicable in case of marine disposal through proper marine outfall.

PART-II: FRESH WATER CONSUMPTION AND EFFLUENT DISCHARGE STANDARD

(Volume in m³/Ton of product*)

		FRESHWATER CONSUMPTION	EFFLUENT DISCHARGE **
(i)	Pulp and Paper Mills producing bleached grades of chemical pulp, papers and paperboards	50	40
(ii)	Pulp and Paper Mills producing unbleached grades of chemical pulp, papers and paperboards	25	20
(iii)	Recycled Fibre and Market Pulp Based Paper Mills producing bleached grades of papers, paperboards and newsprint	15	10
(iv)	Recycled Fibre and Market Pulp Based Paper Mills producing unbleached grades of papers, paperboards and newsprint	10	06
(v)	Recycled Fibre and Market Pulp Based Specialty Paper Mills ***	50	40

Note: 1 * Besides paper, paperboard, specialty papers and newsprint, “product” shall include air dry tonnes of surplus pulp produced for short term storage (as dried sheets or as wet-lap) or for sale.

2 ** Effluent discharge shall mean effluent leaving the outlet of final wastewater treatment stage and includes volumes applied on land within the mill or other mill-owned land. Such application on land is not be drawn from any point before the outlet of the final wastewater treatment stage.

3 *** applies to mills that manufacture only specialty papers.

PART-III: EMISSION STANDARD			
I	Odorous Emission Standard	Parameter	Concentration not to exceed, mg/Nm ³
		H ₂ S	10
Explanation: This emission shall be measured as an odour control assessment, to identify and evaluate point source emissions of odorous gases. Mills that operate with a Soda Process and mill with Sulphur-free operations shall be exempted.			
II	Stack Emission Standard	Parameter	Concentration not to exceed, mg/Nm ³
(a)	Chemical Recovery Plant boilers or Limekiln		
		Particulate matter, PM	100
		H ₂ S	10
(b)	Boilers*	---	
Note:* These emission standard for (b) Boilers* shall be applicable in accordance with the standards notified for general boilers”;			

(ii) Serial number 29, 53 and 54 and the entries relating thereto shall be omitted.

3. In the said rules, in Schedule-VI,—

(i) sub-item (i) of item (a) of serial number 3 of Part-B and the entries relating thereto shall be omitted.

(ii) sub-items (i) and (ii) of item (b) of serial number 3 of Part-B and the entries relating thereto shall be omitted.

(iii) serial number 2 of Part-C and the entries relating thereto shall be omitted.

4. The above standards shall not be applicable to Rayon Grade Pulp industry.

[F. No. Q-15017/41/2008-CPW]

NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and last amended *vide* G.S.R. 487(E), dated 22nd July, 2025.